बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक :– 03/10/25

प्र0–IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)–13/25–5557/एम०, वर्त्तमान में राज्यान्तर्गत लघु खनिजों के उचित प्रबंधन एवं पर्यावरण मानकों को पालन करते हुए सतत खनन हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) लागू है। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु खनिजों के संबंध में खनन पट्टों के लिए स्टार रेटिंग की मार्गदर्शिका उपलब्ध कराते हुए बिहार राज्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार मार्गदर्शिका में संशोधन करने एवं लागू करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–84 के तहत विभाग खनिजों के सतत खनन विकास, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए निदेश जारी करने हेतु सक्षम है।

लघु खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देने, पारदर्शिता बढ़ाने और अनुकरणीय प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एक मजबूत ढाँचा है। इसको अपनाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि खनन कार्य आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक–आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दें। अतएव बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–84 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यान्तर्गत लघु खनिज के पट्टों/समानुदान के स्टार रेटिंग के संबंध में निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :–

1. लघु खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली को पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर खनन पट्टाधारकों का मूल्यांकन कर और मान्यता देकर सतत खनन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत खनन कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

   i. **सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देना** :– ऐसी खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना जो पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करें और सामाजिक–आर्थिक लाभ को बढ़ाएं।
   ii. **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना** :– खनन कार्यों में स्पष्टता और जिम्मेदारी की संस्कृति विकसित करना।
   iii. **अनुपालन को प्रोत्साहित करना** :– खनन पट्टाधारकों को कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना।
   iv. **उत्कृष्टता को मान्यता देना** :– पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासनिक आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खनन कार्यों को पुरस्कृत करना।

2. **स्टार रेटिंग प्रणाली**

स्टार रेटिंग प्रणाली हेतु विभाग द्वारा आवंटित पट्टा कोड को विशिष्ट पट्टा आई0डी0 माना जाएगा। खनन कार्यों का मूल्यांकन पाँच स्टार रेटिंग प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत प्रदर्शन का आकलन किया जाएगाः

(क) व्यवस्थित और सतत खनन (30%) (अनुलग्नक–I)

		पत्थर के लिए	बालू के लिए
i.	परिचालन दक्षता	5%	8%
ii.	रिजेक्ट डंप प्रबंधन	3%	0%
iii.	सुरक्षित और स्थिर बेंच	5%	5%
iv.	धूल दमन के उपाय	17%	17%

(ख) पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण (25%) (अनुलग्नक–II)

i. पर्यावरण मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (SPCB) (5%)
ii. पर्यावरण मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (MoEF) (6%)
iii. प्रतिपूरक वनीकरण की पूर्ति (4%)
iv. वृक्षारोपण उत्तरजीविता दर (10%)

(ग) श्रमिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण (15%) (अनुलग्नक–III)

i. कार्मिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग (2%)
ii. नियमित चिकित्सा जाँच का आच्छादन (2%)
iii. पेयजल एवं स्वच्छता (2%)
iv. महिला सुविधाएँ अर्थात क्रेच, शौचालय और विश्रामगृह (2%)
v. उपजीविकाजन्य रोग जाँच (2%)
vi. किए जा रहे कल्याणकारी उपाय (2%)
vii. खान से खतरों/बचाव अभियान से निपटने के लिए प्रावधान (2%)
viii. श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1%)

(घ) वैधानिक अनुपालन (30%) (अनुलग्नक–IV)

		पत्थर के लिए	बालू के लिए
i.	रिटर्न समर्पण	10%	15%
ii.	उल्लंघन सुधार	5%	5%
iii.	सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति	8%	0%
iv.	पट्टा विलेख का निबंधन	2%	2%
v.	पट्टा सीमाएँ का निर्धारण	5%	8%

3. कार्यान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया

3.1 मूल्यांकन और रेटिंग

i. खनन पट्टाधारक द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न स्व–मूल्यांकन टेम्पलेट में निर्धारित मापदंड के आधार पर मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रतिवर्ष जनवरी माह में समाहर्त्ता को समर्पित किया जायेगा।

ii. यदि खनन पट्टा धारक द्वारा विहित समय–सीमा के अन्दर स्व–मूल्यांकन टेम्प्लेट समर्पित नहीं किया जाता है, तो समाहर्त्ता द्वारा खनन पट्टा का जाँच के माध्यम से मूल्यांकन कराया जायेगा।

iii. खनन पट्टाधारक द्वारा समर्पित स्व–मूल्यांकन का सत्यापन या नया मूल्यांकन, समाहर्त्ता जाँच के माध्यम से करा सकते हैं। वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समाहर्त्ता गैर विभागीय पदाधिकारी से भी जाँच करा सकते हैं। निधि की उपलब्धता अथवा आवश्यकता के आधार पर यह जाँच बाह्य

एजेंसी से संबंधित समाहर्त्ता अथवा निदेशक, खान द्वारा सभी/कुछ जिलों के लिये करायी जा सकेगी।

iv. पट्टाधारकों को मापदंडों के अनुपालन के व्यापक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

3.2 स्टार रेटिंग प्रदान करना

i. खनन पट्टाधारकों को उनके मूल्यांकन स्कोर के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी :

=>80% से 100%: 5 स्टार

=>60% से <80%: 4 स्टार

=>50% से <60%: 3 स्टार

=>40% से <50%: 2 स्टार

=>25% से <40%: 1 स्टार

<=25% कोई रेटिंग नहीं

ii. पारदर्शिता को बढ़ावा देने और निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार रेटिंग सार्वजनिक रूप से प्रकट की जाएगी।

iii. प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए रेटिंग प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

iv. प्रत्येक खनन पट्टे के पट्टेधारक को पट्टा संचालन की तिथि से 02 वर्ष के भीतर कम से कम 3 स्टार रेटिंग हासिल करनी होगी और उसके बाद इसे साल दर साल बनाये रखना होगा।

3.3 अन्यान्य

i. पट्टाधारकों को उच्चतर स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारकों को मापदंड पूरा करने में सहायता किया जाएगा।

iii. स्टार रेटिंग किसी भी तरह से बंदोबस्तधारी/पट्टाधारी के पक्ष में कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं करेगी, जहाँ तक राज्य के अधिकार, पट्टों को समय–समय पर की जाने वाली परिसमाप्ति, निलंबन, वसूली या किसी अन्य कार्रवाई के संबंध में हो।

iv. इस स्टार रेटिंग का प्रयोग विभाग द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)–13 / 25–........... / एम0, पटना, दिनांकः–.......
प्रतिलिपिः– अवर सचिव (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाए।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)–13 / 25–........... / एम0, पटना, दिनांकः–.......
प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता / सभी सहायक निदेशक / सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)–13 / 25–........... / एम0, पटना, दिनांकः–.......
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)–13 / 25–........... / एम0, पटना, दिनांकः–.......
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव कोषांग / निदेशक कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)–13 / 25–5557 / एम0, पटना, दिनांकः–03/10/25
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव